न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. गणेश पुरी पुत्र शिवपुरी, जाति– गोस्वामी
2. प्रकाश पुरी पुत्र वचन पुरी, जाति– गोस्वामी
3. अर्जुन पुरी पुत्र भेर पुरी, जाति– गोस्वामी
4. दिनेश पुरी पुत्र शंकर पुरी, जाति– गोस्वामी
5. रमन पुरी पुत्र मंगल पुरी, जाति– गोस्वामी
6. मगन पुरी पुत्र मंगल पुरी, जाति– गोस्वामी
7. झालम पुरी पुत्र शंकर पुरी, जाति– गोस्वामी
8. ओम पुरी पुत्र शंकर पुरी, जाति– गोस्वामी
9. कैलाश पुरी पुत्र मंगल पुरी, जाति– गोस्वामी
10. भरत पुरी पुत्र भेरु पुरी, जाति– गोस्वामी
11. रमण पुरी पुत्र मंगल पुरी, जाति– गोस्वामी
12. विक्रम पुरी पुत्र मंगल पुरी, जाति– गोस्वामी
13. हिर पुरी पुत्र भेरु पुरी, जाति– गोस्वामी

सर्वनिवासी– रामपुरा (सिलदर, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 15/2023

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 19 जुलाई, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 25.5.2023 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 23 की बिलानाम भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में 0.1600 हेक्टेयर कृषि भूमि का अतिक्रमी होना बताया है, जिसमें प्रत्येक अपीलान्ट को अलग अलग 0.16 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमी माना है, जबकि खसरा संख्या 23 का कुल रकबा ही 0.16 हेक्टेयर [illegible] हेक्टेयर कृषि भूमि पर अतिक्रमण किस प्रकार हो सकता है। यह [illegible] न्यायालय में अपीलान्ट ने विस्तृत जवाब आपत्ति सहित [illegible] निर्णय में अपीलान्ट के

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जवाब का कोई उल्लेख नही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने दिनांक 25.5.2023 को जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का आदेशिका में उल्लेख नही किया है एवं अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण स्वीकार करने का उल्लेख आदेशिका में किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार नही किया है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस का विस्तृत जवाब आपत्ति सहित प्रस्तुत किया है। यह कि अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 17 से 22 कुल रकबा 5.5400 हेक्टेयर आई हुई है। अपीलान्ट के संयुक्त खातेदारी खसरा संख्या 22 व 23 तथा खसरा संख्या 27 के खातेदारों की कृषि भूमि से लगते हुए मध्य में खसरा संख्या 23 की भूमि आई हुई है। ऐसी स्थिति में, अपीलान्ट के खसरा संख्या 20, 22 तथा खसरा संख्या 27 के खातेदारों की कृषि भूमि के सीमाज्ञान करवाये बिना यह कदापि संभव नही है कि किस व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, केवल मात्र राजस्व नक्शें के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा मन माफिक नजरी नक्शा बनाकर अतिक्रमण माना जाना संभव नही है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस में यह अंकित नही किया है कि ग्राम रामपुरा में कौनसे खसरा संख्या की भूमि पर अतिचार किया है। ऐसी स्थिति में जब खसरा संख्या ही अंकित नही है तो किस आधार पर न्यायालय द्वारा जो नोटिस प्रेषित किया है वो कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में खसरा संख्या 23 की भूमि पर किस किस अतिक्रमी का कितने कितने रकबे पर अतिक्रमण है, इसका उल्लेख नही कर अपीलान्ट को जारी नोटिस में खसरा संख्या 23 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है। यह कि अपीलान्ट के खसरा संख्या 20 व 22 की खातेदारी भूमि तथा खसरा संख्या 27 के खातेदारों की कृषि भूमि से लगते हुए मध्य में खसरा संख्या 23 की भूमि आई हुई है। ऐसी स्थिति में, अपीलान्ट के खसरा संख्या 20 व 22 तथा खसरा संख्या 27 के खातेदारों की कृषि भूमि का मौके पर टीम के साथ सीमाज्ञान व नापजोख करना चाहिये था, लेकिन मौके पर सीमाज्ञान व नाप जोख किये बिना ही खसरा संख्या 27 के खातेदारों से मेल मिलाप कर खसरा संख्या 23 की कृषि भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बताया है, जबकि अपीलान्ट का खसरा संख्या 23 की कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण नही होकर अपीलान्ट का स्वयं के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 22 पर कब्जा है। यह कि खसरा संख्या 17 से 22 के कुल 27 संयुक्त खातेदार है, लेकिन अतिक्रमण के संबंध में नोटिस केवल 13 खातेदारों को ही जारी किया है जो विधि अनुरुप नही है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRD 1990 Page 351, RRD 1996 Page 545 में अंकित तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा संवत 2080 में अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 23 रकबा 0.1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण कर बाड व कब्जा करने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, सिलदर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2080 में ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 23 रकबा 0.1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बाड व कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ अपीलार्थीगण को संयुक्त नोटिस जारी किये गये एवं कुछ को अलग अलग नोटिस जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जारी नोटिस में अतिक्रमित रकबा 0.1600 हेक्टेयर होना अंकित किया है, जबकि खसरा संख्या 23 का कुल रकबा ही 0.1600 हेक्टेयर है। किस किस अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 23 के कितने कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है उसका न तो हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अंकन किया गया है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में अंकन किया गया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में आदेशिका दिनांक 25.5.2023 में अपीलार्थीगण द्वारा अतिक्रमण स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी झालमपुरी, प्रकाशपुरी, ओमपुरी, अर्जुन पुरी, कैलाश पुरी, मगन पुरी, विक्रम पुरी, रमण पुरी व गणेश पुरी द्वारा नियत सुनवाई तिथि 25.5.2023 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं अपीलार्थी झालम पुरी व ओमपुरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.5.2023 में जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्ति का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्ति का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 22 तथा खसरा संख्या 27 के खातेदारों की कृषि भूमि के मध्य में खसरा संख्या 23 रकबा 0.1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि आई हुई है, लेकिन हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि व खसरा संख्या 27 की भूमि की पैमाईश किये बिना ही अपीलार्थीगण का खसरा संख्या 23 रकबा 0.1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब व प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 25.5.2023 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व कार्मिकों की टीम गठित कर अपीलार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 22 की अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पैमाईश/सीमाज्ञान करवाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:46 IST
Reason: SelfAttested